आवश्यक
नगरपालिका आम/उप चुनाव,
2025

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- न0नि0 50-187/2023 - 2944

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।
पटना, रोहतास, बक्सर, सारण,
पूर्वी चम्पारण एवं बाँका।

पटना, दिनांक - 29.06.25

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2025 – ई.वोट के साथ-साथ ई.वी.एम. से संबंधित मतगणना के निमित्त दिशा-निर्देश।

प्रसंग : आयोग के पत्रांक 2832 दिनांक 21.06.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा संबंधित जिला को ई.वोट एवं ई.वी.एम. से संबंधित मतगणना के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं। मतगणना के दिन सर्वप्रथम ई.वोटिंग से प्राप्त मतों की गणना निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उनके पटल पर होगी। निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर कम्प्युटर, प्रिन्टर आदि की व्यवस्था कर ली जाय। ई.वोट के मतो की गणना निम्न व्यवस्था के अनुसार की जाय :-

1. इस हेतु निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पदवार अपने पटल पर ई.वोट का मतगणना करेंगे। जैसे मुख्य पार्षद के अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में आयेंगें। उपस्थिति दर्ज करेंगें। ततपश्चात ई.वोट से मतगणना उपरान्त ई.वोटिंग से वार्डवार प्राप्त मतों की विवरणी प्रपत्र-24 (क)(1) में पी.डी.एफ. के रूप में प्राप्त होगी। जिसका प्रिन्ट लेकर निर्वाची पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे तथा मतगणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा। इसके पश्चात मुख्य पार्षद के अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता बाहर चले जायेंगे।

2. उक्त प्रक्रिया से उप मुख्य पार्षद पद का भी मतगणना करेंगे।

3. वार्ड पार्षद के ई.वोट के मतों की गणना वार्ड-वार की जायेगी। यानि एक वार्ड का मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगले वार्ड के अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता उपस्थित होंगे।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

4. प्रासंगिक पत्र के साथ संल्गन प्रपत्र-24 (क)(1) में भूलवश ``निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर`` के स्थान पर ``निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर`` अंकित हो गया जिसे ``निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर`` पढ़ा जाय। तदनुसार संशोधित प्रपत्र-24 (क)(1) पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय तथा तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : संशोधित प्रपत्र-24 (क)(1)

विश्वासभाजन,

for संयुक्त निर्वाचन आयुक्त। 29.6.25

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 2944 पटना, दिनांक – 29.6.25

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

for संयुक्त निर्वाचन आयुक्त। 29.6.25

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 - 2944 पटना, दिनांक – 29.6.25

प्रतिलिपि, सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

for संयुक्त निर्वाचन आयुक्त। 29.6.25

ज्ञापांक - न0नि0 50-187/2023 - 2944 पटना, दिनांक – 29.6.25

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, सारण एवं तिरहुत प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

for संयुक्त निर्वाचन आयुक्त। 29.6.25

परिशिष्ट–IV (A)
eVote

प्रपत्र– 24 (क)(1)

(नियम–92)

ई–वोट द्वारा डाले गये मतों की गणना का विवरण

जिला ....णण........... नगरपालिका ....

पदनाम .... वार्ड संख्या ....

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3

विधिमान्य मतों की कुल संख्या :–

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*उपस्थित अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्त्ता / गणन अभिकर्त्ता द्वारा निम्न प्रपत्र में हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर	निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर	गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।